सं० ..../प०गो०/2014 दिनांक : 20-09-2014

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/09/2014 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो० अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० एच०एस० शुक्ला, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
3.	प्रो० श्रीमती शैलजा सिंह, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो० एस०सी० गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5.	डॉ० महेश्वर सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6.	प्रो० अंजनी कुमार सिंह, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
7.	डॉ० सुस्मिता भट्टाचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
8.	डॉ० कमलेश कुमार गौतम, प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
9.	डॉ०, रमेश बाबू सोलंकी, प्राचार्य	सदस्य
10.	डॉ० सी०एस० मिश्र, एल०बी०एस० डिग्री कालेज, आनंद नगर, महराजगंज	सदस्य
11.	डॉ० राजेश चन्द्र मिश्र, अध्यक्ष महा०वि० शिक्षक संघ	सदस्य
12.	श्री अखिलेश कुमार पाल, परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :-

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10/09/2014 की सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10/09/2014 की सम्पुष्टि की।

2. बी०एड० वर्ष 2005--06 के अभ्यर्थियों द्वारा डिग्री एवं सत्यापन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका के सम्बन्ध में विचार। एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।
निर्णय-- समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रभा देवी महावि० खलीलाबाद, संतकबीरनगर, विद्यार्थी डिग्री कालेज, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर, वीर बहादुर सिंह महा० हरनहीं महुरांव, गोरखपुर, किसान डिग्री कालेज पैकौली हाटा, कुशीनगर एवं चौधरी महावीर प्रसाद महा० हथियहवां बर्डपुर, सिद्धार्थनगर द्वारा बी०एड० सत्र--2005--06 में काउंसिलिंग से आवंटित किये गये छात्रों के आवंटन के पश्चात शेष बची हुई सीटों एवं निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश लिए गये थे बी०एड० सत्र--2005--06 के अभ्यर्थियों द्वारा डिग्री सत्यापन के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार किया। साथ ही साथ उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका याची सं० 20653/2008 कु० नूतन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2013 एवं उक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में दाखिल स्पेशल अपील सं० 892, 891, 893, 894/2013 में पारित आदेश दि० 13/09/2013 के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं० 20653/2008 में पारित आदेश दिनांक 25/07/13 में उल्लेख किया गया है कि बिना काउंसिलिंग के प्रवेशित छात्रों का परीक्षाफल न तो घोषित किया जा सकता है और न तो उपाधि दी जा सकती है इसलिए बिना काउंसिलिंग के लिया गया प्रवेश अवैधानिक है अतः प्रभा देवी महावि० खलीलाबाद, संत कबीर नगर, विद्यार्थी डिग्री कालेज, जगदीशपुर बरडीहा, कुशीनगर, वीर बहादुर सिंह महा० हरनहीं महुरांव, गोरखपुर, किसान डिग्री कालेज पैकौली हाटा, कुशीनगर में बी०एड० सत्र--2005--06 में बिना काउंसिलिंग के प्रवेशित छात्रों का जिनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है उनका परीक्षाफल निरस्त किया जाता है तथा प्रवेश निरस्त करने हेतु प्रवेश समिति को संदर्भित किया जाता है एवं समिति ने यह भी

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग से महाविद्यालयों को आवंटित छात्रों को ही डिग्री दिया जाय तथा उन्हीं छात्रों का सत्यापन किया जाय। उल्लेखनीय है कि चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल म0वि0 हथियहवां बर्डपुर सिद्धार्थनगर के सभी छात्र बिना काउंसिलिंग के प्रवेशित रहे जिसके आधार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12/04/2012 के संकल्प 1 में लिए गये निर्णय द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र--2005--06 के सभी छात्रों का परीक्षाफल निरस्त किया जा चुका है।

3. अरविन्द कुमार सिंह बी0ए0 भाग दो वर्ष--1983, मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया ने अपने प्रत्यावेदन में पिता के नाम रामेश्वर प्रसाद सिंह के स्थान पर रामेश्वर सिंह अंकित करने का अनुरोध किया है। यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/02/14 में रखा गया था। "समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हाईस्कूल एवं नोटरी से मिलान के बाद निर्णय लेने के लिए तथा अन्य अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात प्रस्तुत किया जाय।"

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संशोधन कर दिया जाय।

4. कु0 जगदम्बा, पुत्री--रमाशंकर, बी0ए0 भाग एक वर्ष--2008, बी0ए0 भाग दो वर्ष--2009, बी0ए0 भाग तीन वर्ष 2010 कन्या महाविद्यालय मायघाट, बस्ती के पिता का नाम गौरीशंकर के स्थान पर रमाशंकर के नाम का संशोधन करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्राचार्य से आख्या मांग ली जाय।

5. राजेश चन्द्र मिश्र, अध्यक्ष एवं एस0एन0 शर्मा महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से सम्बद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 03/04/14 पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से सूचना से अवगत हुई।

6. श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, पुत्र--श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, एम0ए0 भाग एक हिन्दी वर्ष--1983 एम0ए0 भाग दो हिन्दी वर्ष--1984 अनु0--28681, पिता के नाम श्री चन्द्र पाण्डेय के स्थान पर श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय का नाम संशोधन पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संशोधन कर दिया जाय।

7. श्री कृष्णा यादव पुत्र--बेचई यादव एम0ए0 भाग दो अंग्रेजी, अनु0--77390, वर्ष--1986, डी0सी0एस0 के पी0जी0 कालेज, मरनाथभंजन, आजमगढ़ ने अपने पिता के नाम सच्ची यादव के स्थान पर बेचई यादव के नाम संशोधन करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्पूर्ण तथ्यों सहित परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखा जाय।

8. प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 28/03/14 के बिन्दु 1--ख पर श्री धर्मेन्द्र कुमार, शोध छात्र भूगोल विभाग, वि0वि0 गोरखपुर के एम0एड0 सत्र 2009 के प्रवेश एवं उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में है "समिति ने सम्यक विचारोपरांत प्रवेश समिति ने निर्णय लिया कि धर्मेन्द्र कुमार शोध छात्र भूगोल विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के एम0एड0 सत्र--2009 के प्रवेश को निरस्त करते हुए परीक्षा समिति को संदर्भित किया जाय।" प्रवेश समिति के निर्णय पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 28/03/14 के बिन्दु 1--ख के निर्णय से अवगत हुई और परीक्षाफल निरस्त करने का निर्णय लिया तथा उपाधि निरस्त करने हेतु कार्यपरिषद को संदर्भित किया।

9. बी0एड0 विभाग/संकाय के अध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 10/07/14 के द्वारा सूचित किया है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09/07/14 की कार्यवाही के बिन्दु 1 भ में निर्णय हुआ कि विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष को सूचनायें कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक तत्काल उपलब्ध करायेंगे जनकि

10 कार्यवृत्त के निर्णय में इसके विपरीत अध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष के सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09/07/14 के बिन्दु 1 ग के निर्णय में संशोधन हेतु आग्रह किया गया है पर विचार।

निर्णय- समिति ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष के आग्रह को स्वीकार किया

11 एम0ए0/एम0एस-सी0/एम0कॉम0 सेमेस्टर परीक्षा अध्यादेश के संदर्भ में प्रभारी डी0डी0पी0 सेल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर अधिष्ठाता समिति की बैठक 01/07/14 के कार्यवृत्त पर विचार। एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।

निर्णय- समिति ने सर्वसम्मति से समिति की संस्तुति को स्वीकार किया।

12 वर्ष 2012 की परीक्षा में महाविद्यालय द्वारा जमा अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में प्रबंधक अखिल भारत महाविद्यालय रानापार, बिशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर के पत्र दिनांक 31/01/14 के सम्बन्ध में विचार। एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।

नोट- "यह प्रकरण परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 10/08/13 के बिन्दु 1(क) पर रखा गया था, समिति ने सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वास्तविक पूरित परीक्षा फार्म के शुल्क से अधिक अतिरिक्त जमा शुल्क सम्बन्धित छात्रों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें उनके प्राप्त पर वापस कर दिया जाय।"

पुनः यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/12/13 के बिन्दु 5 पर रखा गया था समिति सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रबन्धक का प्रतिवेदन स्वीकार न किया जाय तथा पूर्व की भांति नियमानुसार सम्बन्धित छात्रों को ही परीक्षा शुल्क वापसी की पूर्व व्यवस्था रखी जाय।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्रम संख्या 11 से क्रम सं0 21 तक के एजेण्डा बिन्दु को स्थगित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

वार्षिक परीक्षा 2015 में बी0ए0 भाग एक के निम्नलिखित विषयों--समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान के प्रथम प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों के निर्माण पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बी0ए0 भाग एक के निम्नलिखित विषयों--समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, भूगोल, गृहविज्ञान, के बी0ए0 भाग एक प्रथम प्रश्नपत्र की वार्षिक परीक्षा 2015 में बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. समस्त सम्मानित सदस्य गण।
2. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैय0स0 कुलसचिव।
4. उप कुलसचिव, परीक्षा।

परीक्षा नियंत्रक